2020/00001

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी -- नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 02/2020

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा

बनाम

अभियुक्त :-

1. श्री सागरमल पंचौरी पुत्र श्री प्यारचन्द जाति जैन मैसर्स प्रदीप किराणा स्टोर, फोरेस्ट ऑफिस के सामने नया बस स्टेण्ड के सामने परतांपुर जिला बॉसवाडा। स्थायी पता- जवाहर कोलोनी मु.पो परतापुर तह. गढी व जिला बॉसवाडा (राज.)।
2. श्री प्रतीक छाजेड पिता पारसमल छाजेड, मे.छोजेड सेल्स कार्पोरेशन 1044 स्कीम नं.36 बी महू नसीराबाद रोड, नीमच, म.प्र।
3. मेसर्स छोजेड सेल्स कार्पोरेशन 1044 स्कीम नं.36 बी महू नसीराबाद रोड, नीमच, म.प्र।

उपस्थित :-

श्री सागरमल पंचौरी पुत्र श्री प्यारचन्द
श्री प्रतीक छाजेड पिता पारसमल छाजेड

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 06-02-2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 14-11-2019 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 16-03-2019 को 05.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु मैसर्स प्रदीप किराणा स्टोर, फोरेस्ट ऑफिस के सामने नया बस स्टेण्ड के सामने परतापुर जिला बांसवाडा पर पहुचा। इस समय संस्थान पर श्री सागरमल पंचौरी पुत्र श्री प्यारचन्द उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान विक्रेता की दुकान पर Refind Soyabean Oil (Soyam Lite) के 1 लीटर बोतल के 02 कार्टून मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को विक्रय हेतु रखे पाये। इसमे मिस ब्राण्ड, अनसेफ एवं सब स्टेण्डर्ड का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त Refind Soyabean Oil (Soyam Lite) के 1 लीटर वाली 4 बोतल मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में जॉच हेतु खरीदी तथा इनकी कीमत 330 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन- 2019 दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। जॉच हेतु खरीदशुदा उक्त प्रत्येक बोतल को मोटे व मजबुत कागज में लपेटकर, कागज के दोनो सीरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया एवं मोटे एवं मजबुत धागे से बांध दिये। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति

आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाया।

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया Refind Soyabean Oil (Soyam Lite) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) उल्लंघन किया है।

प्रकरण दिनांक 10–01–2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 06–02–2020 को अभियुक्त श्री सागरमल पंचौरी पुत्र श्री प्यारचन्द जाति जैन मैसर्स प्रदीप किराणा स्टोर, परतापुर, श्री प्रतीक छाजेड पिता पारसमल छाजेड, मे.छोजेड सेल्स कार्पोरेशन नीमच ने उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर (खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 10–04–2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया Refind Soyabean Oil (Soyam Lite) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत मीसब्राण्डेड पाया गया. Refind Soyabean Oil (Soyam Lite) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत् आरोपी को दोष सिद्व घोषित किया जाकर जाकर श्री सागरमल पंचौरी पुत्र श्री प्यारचन्द जाति जैन मैसर्स प्रदीप किराणा स्टोर, फोरेस्ट ऑफिस के सामने नया बस स्टेण्ड के सामने परतापुर को रुपया 10000/– (दस हजार), श्री प्रतीक छाजेड पिता पारसमल छाजेड, मे.छोजेड सेल्स कार्पोरेशन 1044 स्कीम नं.36 बी महू नसीराबाद रोड, नीमच को रुपया 10000/– (दस हजार), मे.छोजेड सेल्स कार्पोरेशन 1044 स्कीम नं.36 बी महू नसीराबाद रोड, नीमच को रुपया 10000/– (दस हजार) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी का.मु.चि. एवं स्वा.अधि. बॉसवाडा जब्त शुदा माल 196.800 कि.ग्रा. का नियमानुसार निस्तारण कर रिर्पोट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 06–02–2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बासवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2020.02.07 10:40:45 IST
Reason: SelfAttested
Location: